180
180

राजस्थान सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/पार्ट–ii /जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ 37363 जयपुर दिनांक 30/06/17

परिपत्र

विषय :– जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील पिटिशन संख्या 5854/1994 कुमारी माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल पिटिशन संख्या 15574/2013 व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में समस्त जिला कलेक्टर्स एवं सक्षम अधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं क्रमांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में ही नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में अधिसूचित की गयी जातियों की वर्तनी (Spelling) के अनुसार ही आवेदको की वास्तविक जाति का परीक्षण एवं जॉच पडताल पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना ठीक तरह से नही की जा रही है एवं अधिसूचनाओं में वर्णित जाति की वर्तनी (Spelling) का ठीक प्रकार से अवलोकन नही किया जा रहा है जिसके कारण त्रुटिवश किन्ही व्यक्तियों को गलत जाति प्रमाण–पत्र जारी हो सकते है, विशेषतौर से जाति या समुदाय के नाम में 'ध्वन्यात्मक समानता' (Phonetic similarity) होने के कारण अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके संबध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशीत किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक की जाति की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं में अंकित